

जीएसटी क्षतपूरत विस्तार

परलमिस के लयि: जीएसटी क्षतपूरत उपकर शासन, केंद्र प्रायोजति योजनाएँ

मेन्स के लयि: कोवडि-19 महामारी, सहकारी संघवाद, राजकोषीय संघवाद के कारण राजस्व की कमी और आर्थिक मंदी।

चर्चा में क्यों?

कई राज्यों ने मांग की है कि **जीएसटी** क्षतपूरत उपकर व्यवस्था को और पाँच वर्ष के लिये बढ़ाया जाए। साथ ही राज्यों ने मांग की है कि केंद्र प्रायोजति योजनाओं में केंद्र सरकार की हस्सिसेदारी बढ़ाई जाए।

- ये मांगें इसलिये की गई हैं क्योंकि कोवडि-19 महामारी ने उनके राजस्व को प्रभावित किया है।
- जीएसटी क्षतपूरत का प्रावधान जून 2022 में खत्म होने जा रहा है।

प्रमुख बडि

■ परचिय:

- **जीएसटी करधान:** 101वें संवधान संशोधन अधनियम, 2016 के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया।
 - जीएसटी के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य के अपरत्यकष करों का एक ही कर में वलिय हो गया।
- **जीएसटी क्षतपूरत:** सैद्धांतिक रूप से जीएसटी को पछिली कर व्यवस्था के रूप में ज्यादा राजस्व उत्पन्न करना चाहिये। हालाँकि नई कर व्यवस्था में उपभोग पर कर लगाया जाता है न कविनिर्माण पर।
 - इसका मतलब है कि उत्पादन के स्थान पर कर नहीं लगाया जाएगा जिसका अर्थ यह भी है कविनिर्माता राज्यों को नुकसान होगा और इसलिये कई राज्यों ने जीएसटी के वचिर का कड़ा वरिोध किया।
 - इन राज्यों को आश्वस्त करने के लिये क्षतपूरत का वचिर रखा गया था।
 - केंद्र ने पाँच वर्ष की अवधा हेतु जीएसटी कार्यान्वयन के कारण कर राजस्व में कसी भी कमी के लिये राज्यों को क्षतपूरत का वादा किया।
 - इस वादे ने बड़ी संख्या में अनच्छुक राज्यों को नई अपरत्यकष कर व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के लिये राजी कर लिया।

■ क्षतपूरत उपकर:

- राज्यों को वर्ष 2022 में समाप्त होने वाले पहले पाँच वर्षों के लिये 14% की वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16) से नीचे कसी भी राजस्व कमी के लिये क्षतपूरत की गारंटी दी जाती है।
 - जीएसटी क्षतपूरत का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को हर दो महीने में मुआवजा उपकर से किया जाता है।
 - क्षतपूरत उपकर जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधनियम, 2017 द्वारा नरिदषिट किया गया था।
 - सभी करदाता, जो वशिषिट अधसुचति वस्तुओं का नरियात करते हैं और जनिहोंने जीएसटी संरचना योजना का वकिल्प चुना है, केंद्र सरकार को जीएसटी क्षतपूरत उपकर जमा करने के लिये उत्तरदायी हैं।
- **क्षतपूरत उपकर कोष:** जीएसटी अधनियम में कहा गया है कि एकत्र किये गए उपकर और जीएसटी परषिद द्वारा अनुशंसति राश को फंड में जमा किया जाएगा।

■ राज्यों की चिताएँ:

- **राजस्व की कमी:** वर्ष 2020-21 में राज्य का जीएसटी राजस्व अंतर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, जबकि उपकर संग्रह 65,000 करोड़ रुपये की कमी के साथ 2.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान है।
- **आर्थिक मंदी:** ऐसे समय में जब वकिस की गतिकम हो रही है, जीएसटी अधनियम द्वारा गारंटी के अनुसार राज्यों को मुआवजे का भुगतान करने में देरी से उनके लिये अपने स्वयं के वतित को पूरा करना अधिक कठनि हो जाएगा।
- **घटता केंद्रीय हस्तांतरण:** अधकिंश राज्यों का वचिर है कि केंद्र प्रायोजति योजनाओं में केंद्र की हस्सिसेदारी धीरे-धीरे कम हो गई है और राज्यों की हस्सिसेदारी बढ़ गई है।
 - इसके चलते उनकी सबसे बड़ी मांग केंद्र प्रायोजति योजनाओं में हस्सिसेदारी बढ़ाना है।

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax)

- जीएसटी को 101वें संवधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।
- यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है।
 - इसे 'वन नेशन वन टैक्स' के नारे के साथ पेश किया गया था
- जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्द्धति कर (वैट), सेवा कर, लक्जरी टैक्स आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया है।
- यह अनविर्य रूप से एक उपभोग कर है और अंतिम उपभोग बट्टि पर लगाया जाता है।
- इसने दोहरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण के मुद्दों आदि को कम करने में मदद की है और एक आम राष्ट्रीय बाज़ार का नेतृत्व किया है।
- वस्तु या सेवाओं (यानी इनपुट पर) की खरीद के लिये एक व्यापारी जो जीएसटी का भुगतान करता है, उसे बाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू करने के लिये तैयार या सेट किया जा सकता है।
 - सेट ऑफ टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है।
- इस प्रकार जीएसटी कर पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को कम कर सकता है क्योंकि इससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता है।
- जीएसटी के तहत कर संरचना:
 - उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिये केंद्रीय जीएसटी।
 - वैट, लक्जरी टैक्स आदि को कवर करने के लिये राज्य जीएसटी।
 - अंतरराज्यीय व्यापार को कवर करने के लिये एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी)।
 - IGST स्वयं एक कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ करों के समन्वय के लिये एक प्रणाली है।
 - इन बहुतायत चरणों (Slabs) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिये जीएसटी को चार दरों (5%, 12%, 18% और 28%) पर लगाया जाता है।





What is it?

- GST aims to stitch together a common market by dismantling fiscal barriers between states
- It is a single national uniform tax levied across the country on all goods and services

Present Situation

- The Centre and states levy multiple taxes such as excise duty, octroi, central sales tax (CST), value-added tax (VAT) and entry tax, among others

Why amend the Constitution?

- Under current laws, only the Centre can impose taxes on services
- GST will empower states to collect service taxes

What about tax rates?

- There has been no agreement yet on tax rates for various goods and services
- States want the rate to provide relief to common citizens and small businessmen while preventing loss of revenue for states
- A panel headed by chief economic adviser Arvind Subramanian has recommended a revenue-neutral rate of 15% to 15.5%, with a standard rate of 18%
- The revenue-neutral rate is the rate at which there will be no revenue loss to the Centre and states under GST

Compensating states

- States want 100% compensation for the first five years, and want this specified in the main law through "fool proof" wording
- In the original Bill, the Centre had proposed 100% compensation for first three years, and 75% and 50% for the next two years, respectively
- The Centre has acceded to the states' demand and modified the Constitution Amendment Bill

Inter-state movements

- The Centre would collect the Integrated Goods and Services Tax (IGST) on inter-state supplies
- IGST has been designed to ensure seamless flow of input tax credit from one state to another
- The IGST rate would roughly be equal to CGST plus SGST

What next

- More discussion on rates in the months ahead



- Rates may be specified in subordinate legislation-SGST law, CGST law by later this year.
- It backbone GST Network (GSTN) to be tested after rates are finalised; GSTN will enable real-time tax returns, registrations, input credit etc.

Price impact

- The impact on prices is unknown
- Experts say GST will make most services costlier
- The 13th Finance Commission estimates prices of agricultural goods will increase by 0.61% to 1.18%, while prices of manufactured items will fall by 1.22% to 2.53%
- It will lower the overall tax inputs and make exports competitive

Timeline

2006-07: The govt moots a proposal for GST in the Budget; negotiations with states begin

2008: The govt. constitutes the empowered committee (EC) of state finance ministers

2009: The committee releases its first discussion paper

2011: The UPA govt. introduces the Constitution Amendment Bill for GST in Lok Sabha (LS)

Aug 2013: The Parliamentary Standing Committee submits its report; the govt incorporates recommendations of the committee in the Bill

Sep. 2013: Revised bill sent to the empowered committee

Dec 2014: The Constitution Amendment Bill introduced in the LS

May 2015: LS passes the Bill

August 2015: Congress insists on

capping GST rate at 18%, and specifying the same in the Constitution Amendment Bill

July 2016: The Centre and states agree against capping GST rate in the Constitution Amendment Bill

Aug 2016: Rajya Sabha passes Constitution Amendment Bill Industry hails reforms, says will make doing business easier

स्रोत: द हिंदू